कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

कमांक / पीएस / आयुक्त / 2012 / दिनांक :: अप्रैल, 2012

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की नागरिक सुविधा केन्द्र पर प्राधिकरण के स्वयँ की विकसित आवासीय योजना एवं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–बी के तहत अनुमोदित आवासीय कॉलोनियों के भूखण्ड़ों के संबंध में भवन निर्माण स्वीकृति, नाम हस्तान्तरण, बेचान अनुमति एवं लीज मुक्ति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का कार्य किया जा रहा है। राजस्थान नगरीय भूमि निष्पादन नियम, 1974 के नियम 17 के अनुसार ऐसे आवॅटित भूखण्ड़ों के आवॅटन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में भवन निर्माण नहीं करते हैं तो ऐसे भूखण्ड़ निरस्त माने जाते हैं और ऐसे व्यक्ति भविष्य में रियायती दर पर भूखण्ड़ आवॅटन करने करने का पात्र नहीं रहता है। ऐसे मामलों में नियमितिकरण का अधिकार निरस्तीकरण तिथि से 1 (एक) वर्ष तक आयुक्त एवं दो वर्ष तक कार्यकारी समिति को अधिकार दिये गये हैं। किन्तु ऐसे नियमितिकरण संबंधित आवॅटी द्वारा आवॅटन दर के 5 प्रतिशत की दर से शास्ती जमा कराये जाने पर ही नियमितिकरण अनुमत है। अतः प्राधिकरण को राजस्व हानि से बेचान एवँ अधिकाधिक राजस्व अर्जन की दृष्टि से निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में संबंधित उपायुक्त / उप नगर नियोजक उक्त अनुसार भवन निर्माण स्वीकृति, नाम हस्तान्तरण, बेचान अनुमति, लीज मुक्ति प्रमाण–पत्र आदि जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित प्रकरण में पुनर्ग्रहण शुल्क की वसूली कर ली गयी है। गत एक वर्ष में जारी किये गये उक्त स्वीकृति / आदेश की सूची नागरिक सुविधा केन्द्र से प्राप्त कर लें। यदि पूर्व में ऐसा कोई शुल्क वसूल नहीं किया गया है तो वसूली की कार्यवाही आगामी एक माह में सुनिश्चित की जावे।

आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

कमांक / पीएस / आयुक्त / 2012 / ५१२-५२० दिनांक :: 11 अप्रैल, 2012

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती हैः–

1– निजी सचिव (अध्यक्ष / आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2– सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर / निदेशक- आयोजना, JDA
3– उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4– मैसर्स ओसवाल डाटा प्रोसेस, काय्रलय परिसर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर